

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम-
2. संस्था का पूरा पता-
3. संस्था का कार्य क्षेत्र-
4. संस्था के उद्देश्य-

समर्पण समिति,

ली- 19, ए, पिडानपुरी, महानगर, लखनऊ ।

सम्पूर्ण उ0प्र0

1. जनहित में लोगों को सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, चारित्रिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक विकास करना, जिससे राष्ट्र में सुयोग्य नागरिकों का विकास हो सके।
2. पिछड़ी जाति व अनुसूचित जातियों के बालक/बालिकाओं को शासन द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक योजनाओं से अवगत कराकर उन्हें सहायता प्रदान कराने का प्रयास करना ।
3. बालक/बालिकाओं के विकास हेतु समय-समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करना, प्रोत्साहित करना व उनके शैक्षिक विकास हेतु शिक्षा का प्रचार-प्रसार, उन्नयन एवं प्रबंधन तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना व निम्न स्तर से लेकर



4. बालिकाओं के निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, व्यायामशाला व खेल-क्रीडा केंद्रों की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करना ।
5. धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष भावना वैमनस्यता की दूर कर उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने का प्रयास करना जिससे राष्ट्र में सुयोग्य नागरिकों का विकास हो सके।

6. गरीब, अनु0 जाति के बालक/बालिकाओं, महिलाओं के निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, पेन्टिंग, प्रोड शिक्षा, केन्द्र आदि प्राशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करने का प्रयास करना जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें ।

7. विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, देशी, विदेशी, सरकारी सहायता, प्राप्त करना ।

8. बालक/बालिकाओं, महिलाओं के विकास हेतु स्वास्थ्य शिक्षा की भी व्यवस्था करना ।

Shikha Tripathi

 सत्य प्रतिनिधि

Rajali

 सत्य प्रतिनिधि

Shikha Tripathi

 सत्य प्रतिनिधि

सत्य प्रतिनिधि

बिन्दा रजिस्ट्रार

बिन्दा रजिस्ट्रार, वडा सोसाइटी

प्रबंध कार्यकारिणी समिति व पदाधिकारियों / सदस्यों के नाम / पिता, पति के नाम, पद व पता व व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया ।

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती आशा त्रिपाठी	श्री रवीन्द्र देव त्रिपाठी	मानसदन अतर्रा रोड, नरैनी	अध्यक्ष	गृहिणी
2.	श्री ब्रजेन्द्र नाथ शुक्ला	श्री बैजनाथ शुक्ल	सेत भवन, महानगर तखनऊ	उपध्यक्ष	व्यापार
3.	श्री रवीन्द्र देव त्रिपाठी	स्व० श्री सीता राम त्रिपाठी	मानसदन, अतर्रा रोड नरैनी	प्रवक्ता / संस्थापक	सोनिगा पुलिस सेवा
4.	राहुल त्रिपाठी	श्री रवीन्द्र देव त्रिपाठी	सी०-१९, ए विज्ञानपुरी महानगर तखनऊ ।	उपप्रवक्ता	नीकरी
5.	श्री दिग्विजय त्रिपाठी	श्री कान्तिदेव त्रिपाठी	दोपिन नगर, नरैनी	कार्यक्षेत्र	कृषि
6.	श्री जमुना प्रसाद पाण्डेय	स्व० श्री दीनदयाल पाण्डेय	बादा रोड नरैनी	भाय-व्यय निरीक्षक	नीकरी
7.	श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी	स्व० श्री सीताराम त्रिपाठी	अतर्रा रोड नरैनी	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती भोगिया त्रिपाठी	श्री राजय त्रिपाठी	जिला अस्पताल परिसर देवरिया	सदस्य	गृहिणी
9.	श्रीमती जया त्रिपाठी	श्री राजेश चन्द्र	राजेन्द्र नगर तखनऊ	सदस्य	नीकरी
10.	श्रीमती शिखा त्रिपाठी	श्री जितेन्द्र	सी-१९, ए विज्ञानपुरी महानगर, तखनऊ	सदस्य	नीकरी
11.	श्री पुनिया देवी	स्व० श्री रामकृष्ण त्रिपाठी	पानगरा, नरैनी (बोदा)	सदस्य	कृषि

श्रीमती आशा त्रिपाठी
 श्री ब्रजेन्द्र नाथ त्रिपाठी
 श्री रवीन्द्र देव त्रिपाठी
 राहुल त्रिपाठी
 श्री दिग्विजय त्रिपाठी
 श्री जमुना प्रसाद पाण्डेय
 श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी
 श्रीमती भोगिया त्रिपाठी
 श्रीमती जया त्रिपाठी
 श्रीमती शिखा त्रिपाठी
 श्री पुनिया देवी

श्री राजय त्रिपाठी
 श्री जितेन्द्र
 श्रीमती शिखा त्रिपाठी
 श्री पुनिया देवी



सत्य प्रतिबिम्बि
 विन्दा राजभार
 विन्दा कन्व. तथा सोसाइटी
 10.01.2023

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं। कि हमने स्मृति पत्र के संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1980 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया :-

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती आशा त्रिपाठी	मातृसदन अतर्रा रोड, नरैनी	Asha Tripathi
2.	श्री ब्रजेन्द्र नाथ शुक्ला	तेल भवन, महानगर लखनऊ	Brijendra Nath Shukla
3.	श्री रवीन्द्र देव त्रिपाठी	मातृसदन, अतर्रा रोड नरैनी	Raviendra Dev Tripathi
4.	राहुल त्रिपाठी	सी0-19, ए विज्ञानपुरी महानगर लखनऊ।	Rahul
5.	श्री दिग्विजय त्रिपाठी	देविन नगर, नरैनी	Digvijay Tripathi
6.	श्री जमुना प्रसाद पाण्डेय	बांदा रोड नरैनी	Jamuna Prasad Pandey
7.	श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी	अतर्रा रोड नरैनी	Tribhuvan Nath Tripathi
8.	श्रीमती मोनिका त्रिपाठी	जिला अस्पताल परिसर, देवरिया	Monika Tripathi
9.	श्रीमती जया त्रिपाठी	196-राजेन्द्र नगर लखनऊ	Jaya Tripathi
10.	श्रीमती शिखा त्रिपाठी	सी-19, ए विज्ञानपुरी लखनऊ	Shikha Tripathi
11.	श्री मुनिया देवी	पनगरा, नरैनी (बांदा)	Muniya

Asha Tripathi
 1919-1-1-1199
 Digvijay Tripathi
 Shikha Tripathi

Rahul
 J.Pandey
 मुनिया
 Jaya Tripathi
 1919-1-1-1199
 मोनिका त्रिपाठी



सत्य प्रतिनिधि

दिग्दर्शन द्वारा
 रिड फंड फंड, तथा सोसाइटीज
 10.01.2020

नियमावली

1. संस्था का नाम- समर्पण समिति, l
2. संस्था का पूरा पता- ती- 19, ए, शिक्षानगरी, महानगर, लखनऊ । l
3. संस्था का कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण उ०प्र० l
4. संस्था के उद्देश्य- स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता-

कोई भी व्यक्ति संस्था द्वारा अथवा उसके निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर संस्था का सदस्य बन सकेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यता हेतु प्रबंधकारिणी द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो ।

संस्था के वर्ग-

1. आजीवन सदस्य:- जो व्यक्ति इस संस्था को 5,000/- (पांच हजार) रुपये या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति देगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य होगा ।

साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को 500/- (पांच सौ) रुपये या अधिक मूल्य की सम्पत्ति देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा ।

विशिष्ट सदस्य :- जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान रखते हों, जिन्हें संस्था की प्रबंधकार्यकारिणी समिति की सहमति पर नामित करेगी वह व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति मतदान में भाग लेने के अधिकारी नहीं होंगे तथा न ही सदस्यता शुल्क ही अदा करेंगे ।



Dr. T. K. Pathy

सत्य प्रतिबिम्बि

डिप्टी रजिस्ट्रार
वि० प्र० ६७७, तथा सांसाधनी
10.6.2018

6. सदस्यता की समाप्ति

संस्था की सदस्यता की समाप्ति निम्न कारणों में से किसी एक कारण के हो जाने पर की जा सकेगी।

1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
4. प्रबंध समिति को अपना त्याग-पत्र देने पर।
5. लगातार बिना सूचना के तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
6. न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर।
7. अविश्वास पारित होने पर।
8. संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर।

7.अ. साधारण सभा

सभी श्रेणियों के सदस्यों को मिलाकर साधारण-सभा गठित होगी।

साधारण सभा की सदस्यता सभी मान्य होगी, जब प्रत्येक ने सदस्यता प्रपत्र भरकर विधिवत् सदस्यता प्राप्त की हो।

बैठकें :-


साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी, तथा विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकेंगी।

सूचना अवधि :-

बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व देना होगा। असाधारण परिस्थिति सूचना अवधि सात दिन पूर्व भी दी जा सकती है।

गणपूर्ति :-

बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों की 2/3 होगी।



सस्य प्रतिनिधि

विन्दी रजिस्ट्रार
पिठ काठ काठ, तथा सोसाइटी
१०.११.२०१९

विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

प्रति वर्ष वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत अप्रैल में संस्था का विशेष अधिवेशन होगा। जिसकी सूचना सभी सदस्यों को 15 दिन पूर्व प्राप्त होगी। अधिवेशन में संस्था के सारे अर्थ, क्रिया-कलापों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था के गत वर्ष के वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिदिन की स्वीकृति प्रदान करना।

8. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति

अ. गठन :-

प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन साधारण सभा द्वारा होगा व पदाधिकारियों के अनुसार होंगे।

ब. बैठक सामान्य/विशेष :-

प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक वर्ष में दो बार अवश्य हुई। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

स. प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है। सभी सूचनाएँ लिखित रूप से ही दी जायेंगी।

गणपूर्ति :-

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक का कोरम 2/3 बहुमत से लेगा। स्थगित बैठकों के लिए दुबारा बुलायी गई बैठकों का कोई अलग से एजेंडा नहीं होगा।



सत्य प्रतिनिधि

डिप्टी सचिव
पिर कन्व कन्व. तथा सोसाइटी
10/10/2018

4/10/2018

4/10/2018

Handwritten signature

रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उस अवधि के लिए प्रबन्ध कारिणी समिति साधारण-सभा क सदस्यों में से चयन/नामित करेगी।

9. समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

- अ. जिन उद्देश्यों को गणपूर्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसके लिए निरन्तर प्रयासरत् रहना।
- ब. पिछले वर्ष के आय-व्यय का निरीक्षण किया हुआ लेखा-जोखा प्रगति-प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण-सभा में प्रस्तुत करना।
- स. समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते आदि का भुगतान निदेशक के माध्यम से करना।
- द. कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- य. अन्य आवश्यक कार्य जो साधारण-सभा प्रस्तुत किये जायें।
- र. संस्था की चल-अचल सम्पत्ति समिति के नाम होगी।

कार्यकाल :-

प्रबंध कार्यकारिणी का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

10. प्रबन्ध कार्यकारिणी एवं समिति के अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

1. प्रबन्ध कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की अध्यक्षता करना।
2. साधारण-सभा तथा कार्यकारिणी को सक्रिय बनाने में प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करना।
3. पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करना।



सत्य प्रतिबिम्बि

डिप्टी रजिस्ट्रार
पि. ए. ए. 5+8, तथा सोसाइटी
10/12/203

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सारे कर्तव्यों का निर्वाह करना।

प्रबन्धक :-

1. सारे कागजात अपने पास रखना।
2. सब प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
3. सारे कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं नियुक्तियों के प्रति उत्तरदायी होना।
4. प्रबंध कारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर अपने विवेक व अध्यक्ष की पूर्ण सहमति के द्वारा विचार कर अन्तिम रूप से निर्णय देना।
5. संस्था के नित्य क्रियाकलापों को देखना।

उपप्रबंधक :-

प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसके द्वारा बताये गये कार्य को करना और संस्था के विकास हेतु कार्य करना और उनके कार्यों में समय देना।

कोषाध्यक्ष :-

अध्यक्ष व प्रबंधक द्वारा बताये गये कार्यों को पूरा करना व संस्था के कोष सम्बन्धी समस्त अभिलेखों को तैयार कर अध्यक्ष को सौंपना व संस्था के विकास हेतु कार्य करना।

आय-व्यय निरीक्षक :-

संस्था के सम्पूर्ण आय-व्यय को आडिट करना व अपनी आडिट रिपोर्ट को साधारण-सभा में अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना व आडिट प्रपत्रों को सुरक्षित रखना व संस्था के विकास हेतु योगदान देना।

सत्य प्रतिष्ठिति

डिप्टी रजिस्ट्रार

विद्युत कक्षा, तथा सोसाइटी

10/12/2023



संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :
संस्था के नियमों, विनियमों में संशोधन साधारण-सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

12. संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी स्थानीय बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसमें खाते का संचालन संस्था के प्रबंधक व संस्थापक के इस्ताफर से होगा।

13. संस्था के आय-व्यय का परीक्षण (आडिट) :

संस्था का आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रतिवर्ष कराया जायेगा, तथा परीक्षण सूचना सदस्यों को दी जायेगी।

14. संस्था द्वारा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक का होगा, अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति को होगा।

15. संस्था के अभिलेख : संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होंगे -

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेंडा रजिस्टर
4. स्टॉक रजिस्टर
5. कैश-बुक आदि अभिलेख होंगे।

16. संस्था का विघटन :

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार की जावेगी।



! सत्य प्रतिलिपि !

सत्य प्रतिलिपि

विपरीत रजिस्ट्रार

विपरीत रजिस्ट्रार, तथा सोसायटीज

विपरीत रजिस्ट्रार

21/10/2023